भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

मौखिक प्रश्न सं. †*20

सोमवार, 25 नवंबर, 2024/4 अग्रहायण, 1946 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

रिवरफ्रंट घाटों पर पर्यटन को बढ़ावा देना

†***20. सुश्री इकरा चौधरी:**

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास सांस्कृतिक, धार्मिक या ऐतिहासिक महत्व वाली महत्वपूर्ण नदियों सहित देश भर में रिवरफ्रंट घाटों पर पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से योजनाएं अथवा नीतियां हैं;

(ख) क्या सरकार की नदियों के आसपास ऐसे घाटों और क्षेत्रों के विकास और सड़क, आवास अथवा सार्वजनिक सुविधाओं जैसे अतिरिक्त बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए कोई धनराशि आवंटित करने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या त्योहारों और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कैराना के पास यमुना नदी के किनारे घाटों के निर्माण और रखरखाव के लिए कोई योजना है और इसके लिए समय-सीमा क्या है; और

(घ) सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के जंक्शन पर क्षेत्र के महत्वपूर्ण स्थान का प्रभावी ढंग से लाभ उठाने के लिए इन घाटों का विकास किस प्रकार सुनिश्चित करती है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री **(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)**

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

*****

सुश्री इकरा चौधरी द्वारा रिवरफ्रंट घाटों पर पर्यटन को बढ़ावा देने के संबंध में दिनांक 25.11.2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा के मौखिक प्रश्न सं. †*20 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में **विवरण**

(क) से (घ): पर्यटन मंत्रालय अपनी अनेक पहलों के माध्यम से देश भर में रिवर फ्रंट, घाटों आदि सहित देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों और उत्पादों का संवर्धन करता है, जिनका सांस्कृतिक, धार्मिक या ऐतिहासिक महत्व है। इस तरह के संवर्धन विभिन्न प्लेटफार्मों, कार्यक्रमों, वेबसाइटों, सोशल मीडिया पर प्रचार, प्रचार सामग्री आदि के द्वारा की गई विभिन्न विपणन पहलों के माध्यम से किए जाते हैं। पर्यटन मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को ऐसे मेले, त्यौहार और उत्सवों के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है, जिनमें घाटों और रिवर फ्रंट सहित विभिन्न स्थानों पर धार्मिक पर्यटन सहित पर्यटन को बढ़ावा देने की क्षमता होती है।

इसके अतिरिक्त, पर्यटन मंत्रालय स्वदेश दर्शन, तीर्थ स्थल जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद) और 'पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता' की अपनी चल रही योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के प्रयासों को संपूरित करता है, जिसमें रिवर फ्रंट, घाटों आदि पर सुविधाओं के विकास सहित पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों/केंद्रीय एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

हालांकि, पर्यटन मंत्रालय के पास हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्य सहित देश भर में घाटों के निर्माण और रखरखाव के लिए अनन्य रूप से समर्पित कोई विशिष्ट योजना या नीति नहीं है, लेकिन यह राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को अपनी पर्यटन सुविधाओं में सुधार करने, निर्मित परिसंपत्तियों के संचालन और रखरखाव का कार्य करने और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपने गंतव्यों और उत्पादों का विपणन करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

*****